

पत्रांक/572 सीएसी/14-432 सीएसी/95-II

दिनांक 04 दिसम्बर, 2014

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक।
2. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो)
3. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)
4. समस्त सम्परीक्षा अधिकारी
5. समस्त सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी  
उ0प्र0 परिवहन निगम।

**विषय:- परिवहन निगम की ठेका गाड़ियों (चार्टर्ड) की दरों में संशोधन के संबंध में।**

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र सं0-1544 सीएसी/14-294 सीएसी/90 दिनांक 28.11.2014, का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा निगम बसों की किराया दरों में कमी करते हुये साधारण सेवा की बसों हेतु 80 पैसे प्रति यात्री प्रति किमी० निर्धारित कर पुनरीक्षित किराया वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तदनुसार साधारण ठेका गाड़ियों (चार्टर्ड) की दरों को संशोधित कर रू० 35.18 प्रति किमी० निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में शेष शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार किराया दरों को संशोधित कर नियमानुसार लागू कराने का कष्ट करें।

(एच०एस० गाबा)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा०)

पत्रांक:-समसंख्यक एवं समदिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक/निजी सचिव, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) परिवहन निगम मुख्यालय।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि०), परिवहन निगम मुख्यालय।
3. प्रधान प्रबन्धक(एभ०आई०एस०), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय।
5. सम्परीक्षा अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय।

(एच०एस० गाबा)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा०)